

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/85488/ALB/ALLAHABAD/1740/CFO

दिनांक : 07-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RUSHMORE INTERNATIONAL SCHOOL HABUSHA MORE SARAI INAYAT PRAYAGRAJ** पता **0,HABUSA MORE,SARAI INAYAT** तहसील - **PHULPUR** प्लाट एरिया **8686 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **7615.82** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	4	1	12.75 mt.
BLOCK B	3	0	9.75 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **RUSHMORE INTERNATIONAL SCHOOL HABUSHA MORE SARAI INAYAT PRAYAGRAJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RADHEY SHYAM TIWARI tanujkumartiwari@gmail.com 7388779415** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-06-2023** से **25-06-2026** तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RUSHMORE INTERNATIONAL SCHOOL HABUSHA MORE SARAI INAYAT PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RUSHMORE INTERNATIONAL SCHOOL HABUSHA MORE SARAI INAYAT PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"**

**Note :** 1-भवन वर्ष 2020 के पूर्व का निर्मित है वेसमेन्ट का प्रयोग शिक्षण कार्य के लिए नहीं किया जायेगा, वेसमेन्ट का प्रयोग केवल स्टोर कार्य के लिए किया जा रहा है इसका शपथ पत्र आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया गया है। 12-सेटबैक के संबंध में सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय मान्य होगा/ अतएव शासन के पत्र सं0187/छः-पु-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07-01-2022 के आधार पर निर्गत किया जा रहा है, भवन में ढाँचागत परिवर्तन /अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 4. प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कर फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Rajeev Kumar Pandey**

8DA5490F8C1BCDF5B167752BB7A40B3F521C46EC

26-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-06-2023

स्थान : ALLAHABAD

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

